आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1982

(1982 का अधिनियम संख्यांक 71)

[13 नवम्बर, 1982]

देश की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन जारी रखा जाना सुनिश्चित करके जनसाधारण के हितसाधन के लिए आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के, अर्थात् वैज्ञानिक उपकरणों के विनिर्माण और उत्पादन में लगी हुई थी ;

और केन्द्रीय सरकार ने आंध्र साइंटिफिक कंपनी लिमिटेड के उपक्रमों के प्रबंध को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा के 18कक के अधीन ग्रहण कर लिया था ;

और आंध्र साइंटिफिक कंपनी लिमिटेड के उपक्रमों का अर्जन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कम्पनी के उपक्रम, देश की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण पूर्वोक्त वस्तुओं का उत्पादन जारी रख कर जनसाधारण का हित साधन करते रहें ;

अत: भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आंध्र साइंटिफिक कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1982 है ।

(2) धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरन्त प्रवृत्त होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध 1 जुलाई, 1981 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से 1 जुलाई, 1981 अभिप्रेत है ;

(ख) "आयुक्त" से धारा 15 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ग) "कंपनी" से आंध्र साइंटिफिक कंपनी लिमिटेड अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ में एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय आंध्र प्रदेश राज्य में मछलीपटणम में है ;

(घ) "अभिरक्षक" से कंपनी के प्रबंध को ग्रहण करने या उसे चलाने के लिए धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अभिरक्षक अभिप्रेत है ;

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) "विनिर्दिष्ट तारीख" से इस अधिनियम के किसी उपबंध के संबंध में ऐसी तारीख अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार, उस उपबंध के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ;

(ज) "सरकारी कम्पनी" से ऐसी सरकारी कम्पनी अभिप्रेत है जिसमें धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन, कम्पनी के उपक्रमों को निहित होने के लिए निदेश दिया गया है ;

(झ) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में है ।

अध्याय 2

कंपनी के उपक्रमों का अर्जन और अंतरण

3. कंपनी के उपक्रमों का केन्द्रीय सरकार को अन्तरण और उसमें निहित होना—नियत दिन को कम्पनी के उपक्रम और उपक्रमों के संबंध में कम्पनी के अधिकार, हक और हित इस अधिनियम के आधार पर केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) कंपनी के उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके अन्तर्गत वे सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी स्थावर तथा जंगम संपत्ति, जिसके अन्तर्गत भूमियां, भवन, कर्मशालाएं, स्टोर, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर भी हैं, रोकड़ बाकी, हाथ की रोकड़, चैक, मांगदेय ड्राफ्ट, आरक्षित निधियां, विनिधान, बही-ऋण और ऐसी संपत्ति में या उससे उद्‌भूत होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं, जो नियत दिन ठीक के पूर्व कम्पनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में, चाहे भारत में या भारत के बाहर थे, और तत्संबंधी सभी लेखा-बहियां, रजिस्टर और अन्य सभी किसी भी प्रकार की दस्तावेजें भी हैं ।

(2) यथापूर्वोक्त सभी सम्पत्तियां जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, ऐसी निहित होने के बल से किसी भी न्यास, बाध्यता, बंधक, भार, धारणाधिकार और उनको प्रभावित करने वाले अन्य सभी विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगी और ऐसी सम्पत्तियों के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बन्धित करने वाली या ऐसी सभी सम्पत्तियों या उनके किसी भाग की बाबत किसी रिसीवर की नियुक्ति करने वाली किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्ध प्राधिकरण की किसी कुर्की, व्यादेश, ड्रिकी या आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह वापस ले लिया गया है ।

(3) किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, प्रत्येक बन्धकदार और किसी ऐसी सम्पत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का बन्धकदार या ऐसी किसी सम्पत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम में से और धारा 8 के अधीन अवधारित रकम में से भी, बन्धक धन या अन्य शोध्य रकमों के पूर्णत: या भागत: संदाय के लिए, अपने अधिकारों और हितों के अनुसार, दावा करने का हकदार होगा किन्तु ऐसा कोई बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित किसी ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हैं ।

(5) यदि किसी उपक्रम के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, कंपनी को कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत, नियत दिन से पूर्व किसी समय दी गई है और वह उस दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त है, तो वह ऐसे उपक्रम के संबंध में और उसके प्रयोजनों के लिए अपनी अस्तित्वावधि के अनुसार उस दिन और उसके पश्चात् प्रवृत्त बनी रहेगी और ऐसे उपक्रम के धारा 6 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित होने की तारीख से ही, ऐसी सरकारी कम्पनी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में उसी प्रकार प्रतिस्थापित हो गई है मानो ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत ऐसी सरकारी कम्पनी को दी गई थी और ऐसी सरकारी कम्पनी उसे उस शेष अवधि के लिए धारण करेगी जिसके लिए ऐसी कम्पनी उसे उसके निबंधनों के अनुसार उसे धारण करती ।

(6) यदि नियत दिन को, किसी संपत्ति के संबंध में जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या किया गया कोई वाद, अपील या किसी भी प्रकार की अन्य कार्यवाही लम्बित है, तो कम्पनी के उपक्रमों के अन्तरण या इस अधिनियम की किसी बात के कारण, उसका उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध, या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित होने के लिए निदेशित है, वहां उस सरकारी कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी और प्रवर्तित की जा सकेगी ।

5. कुछ पूर्व दायित्वों के लिए केंद्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी का दायी न होना—(1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में कम्पनी का प्रत्येक दायित्व, कम्पनी का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, और न कि केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं वहां उस सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि—

(क) इस धारा या अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत कम्पनी का कोई दायित्व, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित होने के लिए निदेशित है, वहां उस सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ख) कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में नियत दिन के पश्चात् किसी ऐसे मामले, दावे या विवाद के बाबत जो उस दिन के पूर्व उत्पन्न हुआ था, पारित किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी का कोई अधिनिर्णय डिक्री या आदेश केन्द्रीय

सरकार के विरुद्ध या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित होने के लिए निदेशित है, वहां उस सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए नियत दिन के पूर्व, कम्पनी द्वारा उपगत कोई दायित्व, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित है, वहां उस सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

6. कंपनी के उपक्रमों के किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित होने का निदेश देने की केंदीय सरकार की शक्ति—(1) धारा 3 और धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि कम्पनी के उपक्रम और कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, केन्द्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय, या तो अधिसूचना की तारीख को या उससे पहले या बाद की ऐसी तारीख को (जो नियत दिन से पहले की तारीख न हो), जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उस सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित उपधारा (1) के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित हो जाते हैं वहां सरकारी कम्पनी ऐसे निहित होने की तारीख से ही, ऐसे उपक्रमों के संबंध में स्वामी हो गई समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के सभी अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, सरकारी कम्पनी के अधिकार और दायित्व हो गए समझे जाएंगे ।

अध्याय 3

रकमों का संदाय

7. रकम का संदाय—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी के उपक्रमों के और ऐसे उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित के धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित होने के लिए दो करोड़ चौबीस लाख दस हजार रुपए की रकम कम्पनी को नकद और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से देगी ।

8. अतिरिक्त रकमों का संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार, कम्पनी को उसके उपक्रमों के प्रबंध से उसे वंचित किए जाने के लिए दस हजार रुपए प्रति वर्ष की दर से संगणित नकद रकम, उस तारीख से प्रारम्भ होकर जिसको उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आदेश के अनुसरण में कम्पनी के उपक्रमों का प्रबंध ग्रहण किया गया था, नियत दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए देगी ।

(2) धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के उपबंधों के भूतलक्षी प्रवर्तन के प्रतिफल स्वरूप, केन्द्रीय सरकार कम्पनी को उस अवधि के लिए जो नियत दिन से प्रारम्भ होकर उस तारीख को समाप्त होती है, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दस हजार रुपए प्रतिवर्ष की दर से संगणित रकम नकद देगी ।

(3) धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम पर और उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अवधारित रकम पर चार प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज, नियत दिन से प्रारम्भ होकर उस तारीख को, जिसको ऐसी रकम का केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए, दिया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, कम्पनी को धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार अवधारित रकमें देगी ।

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कम्पनी के दायित्वों का उसके उन उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, उन्मोचन धारा 7 में निर्दिष्ट रकम से और उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन अवधारित रकमों से भी, कम्पनी के लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार किया जाएगा ।

अध्याय 4

कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध, आदि

9. कम्पनी के उपक्रमों का प्रबंध आदि—(1) कम्पनी के उन उपक्रमों के, जिनके संबंध में अधिकार, हक और हित धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबन्ध,—

(क) जहां सरकार ने धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया है, वहां ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी में निहित होगा ; या

(ख) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निदेश नहीं दिया गया है, वहां उपधारा (2) के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक या अधिक अभिरक्षकों में निहित होगा,

और तब, यथास्थिति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी या इस प्रकार नियुक्त अभिरक्षक अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कार्य करने का हकदार होगा या के हकदार होंगे जिन शक्तियों का प्रयोग और जिन कार्यों को करने के लिए कम्पनी अपने उपक्रमों के संबंध में प्राधिकृत है ।

(2) केन्द्रीय सरकार एक या अधिक व्यक्तियों को या किसी सरकारी कम्पनी को कम्पनी के ऐसे उपक्रमों के अभिरक्षक या अभिरक्षकों के रूप में नियुक्त कर सकेगी जिनके संबंध में धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन उसने कोई निदेश नहीं किया है ।

(3) इस प्रकार नियुक्त अभिरक्षक कम्पनी के उपक्रमों की निधियों में से ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा या करेंगे जो केन्द्रीय सरकार नियत करे और केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा या करेंगे ।

10. कम्पनी के उपक्रमों के प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियां, आदि परिदत्त करने का कर्तव्य—(1) कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध सरकारी कम्पनी में निहित हो जाने पर अथवा अभिरक्षक या अभिरक्षकों की नियुक्ति हो जाने पर, ऐसे निहित होने या ऐसी नियुक्ति होने से ठीक पूर्व कम्पनी के उपक्रमों के प्रबन्ध के भारसाधक सभी व्यक्ति, यथास्थिति, सरकारी कम्पनी अथवा अभिरक्षक या अभिरक्षकों को ऐसी सभी आस्तियां, लेखा बहियां, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजें परिदत्त करने के लिए बाध्य होंगे जो कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में हों और उनकी अभिरक्षा में हों ।

(2) केन्द्रीय सरकार, सरकारी कम्पनी या अभिरक्षक या अभिरक्षकों को, ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझे और ऐसी सरकारी कम्पनी या अभिरक्षक भी, यदि ऐसा करना आवश्यक समझा जाए तो, केन्द्रीय सरकार को किसी भी समय उस रीति के बारे में, जिसमें कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध संचालित किया जाएगा या किसी ऐसे अन्य विषय के बारे में जो ऐसे प्रबन्ध के दौरान उत्पन्न हो, अनुदेशों के लिए आवेदन कर सकेगा ।

11. अपने कब्जे में की आस्तियों, आदि का लेखा-जोखा देने का व्यक्तियों का कर्तव्य—(1) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में नियत दिन को कम्पनी के स्वामित्व के किसी उपक्रम से संबंधित कोई ऐसी आस्तियां, बहियां, दस्तावेजें या अन्य कागजपत्र हैं जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित हो गए हैं, और जो कम्पनी के हैं या जो उस दशा में उसके होते यदि कम्पनी के स्वामित्व के उपक्रम केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कम्पनी में निहित न हुए होते, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को उक्त आस्तियों, बहियों, दस्तावेजों, और अन्य कागज-पत्रों का लेखा-जोखा देने के लिए दायी होगा और वह उन्हें केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कम्पनी को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिसे केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार या पूर्वोक्त सरकारी कम्पनी, कंपनी के सभी उपक्रमों का कब्जा प्राप्त करने के लिए जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार अथवा सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, सभी आवश्यक कार्यवाहियां कर सकेगी या करवा सकेगी ।

(3) कम्पनी, ऐसी अवधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे, उस सरकार को उन उपक्रमों से संबंधित, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, नियत दिन को यथाविद्यमान अपनी समस्त सम्पत्तियों और आस्तियों की एक पूर्ण सूची देगी और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा पूर्वोक्त सरकारी कम्पनी, कम्पनी को सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगी ।

12. लेखा और लेखापरीक्षा—कम्पनी के उपक्रमों का या के अभिरक्षक, कम्पनी के उपक्रमों का लेखा ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अनुसार रखेगा या रखेंगे जो विहित की जाएं और कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबन्ध ऐसे रखे गए लेखा की लेखापरीक्षा को इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी कम्पनी के लेखा की लेखापरीक्षा को लागू होते हैं ।

अध्याय 5

कम्पनी के कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध

13. कुछ कर्मचारियों के नियोजन का जारी रहना—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व कंपनी के किसी उपक्रम में नियोजित रहा है,—

(क) नियत दिन से ही, केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी हो जाएगा ; और

(ख) जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं वहां, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, सरकारी कम्पनी का कर्मचारी हो जाएगा,

और, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के अधीन पद या सेवा को पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जो उसे उस दशा में अनुज्ञेय होते जिसमें ऐसा निधान न हुआ होता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के अधीन उसका नियोजन सम्यक् रूप में समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी सम्यक् रूप में परिवर्तित नहीं कर देती ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या उस समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कम्पनी के किसी उपक्रम में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की सेवाओं का, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को

अन्तरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और कोई दावा कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

14. भविष्य निधि और अन्य निधियां—(1) जहां कम्पनी के उपक्रमों में से किसी उपक्रम में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कम्पनी ने कोई भविष्य निधि, अधिवार्षिकी या कल्याण या अन्य निधि स्थापित की है वहां अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से, जिनकी सेवाएं, केन्द्रीय सरकार अथवा सरकारी कम्पनी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्तरित हो गई हैं, संबंधित धनराशियां ऐसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी, कल्याण या अन्य निधि में नियत दिन को जमा धनराशियों में से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार को या सरकारी कम्पनी को अन्तरित हो गई धनराशियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी ऐसी रीति से कार्रवाई करेगी, जो विहित की जाए ।

अध्याय 6

संदाय आयुक्त

15. संदाय आयुक्त की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 7 और धारा 8 के अधीन कंपनी को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार आयुक्त की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे और तब आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक को इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा और विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भिन्न-भिन्न व्यक्ति को प्राधिकृत किया जा सकेंगे ।

(3) कोई व्यक्ति, जो आयुक्त द्वारा प्रयोक्तव्य किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से कर सकेगा और उसका वही प्रभाव होगा मानो वे उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्षत: प्रदान की गई थीं, न कि प्राधिकार के रूप में ।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे ।

16. केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार, कंपनी को संदाय की जाने के लिए आयुक्त को विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर, उतनी रकम नकद देगी जो—

(क) धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकमों के बराबर है ; और

(ख) धारा 8 के अधीन कम्पनी को संदेय रकमों के बराबर है ।

(2) केन्द्रीय सरकार आयुक्त के नाम भारत के लोक खाते में एक निक्षेप खाता खोलेगी और आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त प्रत्येक रकम को उक्त निक्षेप खाते में जमा करेगा और उक्त निक्षेप खाते को चलाएगा ।

(3) आयुक्त कंपनी के उन उपक्रमों की बाबत जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उसे संदाय कर दिए गए हैं, अभिलेख रखेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निक्षेप खाते में जमा रकम पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज कंपनी के फायदे के लिए होगा ।

17. केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी की कुछ शक्तियां—(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी, नियत दिन के पश्चात् वसूल किया गया कोई ऐसा धन, जो कंपनी को उसके उन उपक्रमों के संबंध में शोध्य है जो केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित हो गए हैं, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके, विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त करने की हकदार, इस बात के होते हुए भी होगा कि ऐसा वसूल नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंधित है ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी आयुक्त को ऐसे प्रत्येक संदाय के संबंध में दावा कर सकेगी जो नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में कम्पनी के किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी ने नियत दिन के पश्चात् किया है और ऐसे प्रत्येक दावे को उन पूर्विकताओं के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी जो उस विषय को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त है जिसके संबंध में ऐसे दायित्व का निर्वहन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी ने किया है ।

(3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व के किसी संव्यवहार के संबंध में कम्पनी के ऐसे दायित्व, जिनका विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व निर्वहन नहीं किया गया है, कम्पनी के दायित्व होंगे ।

18. आयुक्त को दावे किए जाना—प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसका कम्पनी के विरुद्ध, उसके स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम से संबंधित, अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी के संबंध में कोई दावा है, ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तारीख के तीस दिन के अन्दर आयुक्त के समक्ष करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि दावेदार पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर दावा करने से निवारित रहा था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर दावा ग्रहण कर सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् नहीं ।

19. दावो की पूर्विकता—धारा 18 के अधीन किए गए दावों को निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग I को अन्य सभी प्रवर्गों पर अग्रता दी जाएगी और प्रवर्ग II को प्रवर्ग III पर अग्रता दी जाएगी, और इसी प्रकार आगे भी ;

(ख) प्रत्येक प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावे समान पंक्ति के होंगे और उनका पूर्णत: संदत्त किए जाएंगे किन्तु यदि रकम ऐसे दावों को पूर्णत: चुकाने के लिए अपर्याप्त है तो वे समान अनुपातों में कम कर दिए जाएंगे और तद्नुसार संदत्त किए जाएंगे ; तथा

(ग) किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट विषय की बाबत किसी दायित्व के निर्वहन का प्रश्न केवल तब उठेगा जब उसके ठीक उच्चतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट सभी दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाए ।

20. दावों की परीक्षा—(1) आयुक्त, धारा 18 के अधीन किए गए दावों की प्राप्ति पर, उन्हें अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के अनुसार क्रमबद्ध करेगा और उक्त पूर्विकता क्रम से उनकी परीक्षा करेगा ।

(2) यदि दावों की परीक्षा करने पर आयुक्त की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त रकम किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे निम्नतर प्रवर्ग की बाबत किसी दावे की परीक्षा करे ।

21. दावों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना—(1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के प्रति निर्देश से दावों की परीक्षा करने के पश्चात्, आयुक्त कोई तारीख नियत करेगा जिसको या जिसके पूर्व प्रत्येक दावेदार, अपने दावे का सबूत फाइल करेगा ।

(2) इस प्रकार नियत तारीख की कम से कम 14 दिन की सूचना, अंग्रेजी भाषा के किसी दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में, जिसका देश के अधिकांश भाग में परिचलन है, तथा ऐसी प्रादेशिक भाषा के, जिसे आयुक्त उपयुक्त समझे, किसी दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी, और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने दावे का सबूत विज्ञापन में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आयुक्त के समक्ष फाइल करे ।

(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किए गए संवितरणों से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(4) आयुक्त ऐसे अन्वेषण करने के पश्चात् जो उसकी राय में आवश्यक है और कम्पनी को दावे का खण्डन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदार को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा दावे को पूर्णत: या भागत: स्वीकार या अस्वीकार करेगा ।

(5) आयुक्त को, अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले सभी मामलों में, जिनके अन्तर्गत वह या वे स्थान भी हैं जहां वह अपनी बैठक कर सकेगा, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए उसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक पदार्थ का, जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई अन्वेषण भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(7) कोई दावेदार, जो आयुक्त के विनिश्चय से असंतुष्ट है, उस विनिश्चय के विरुद्ध अपील, आरम्भिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय में कर सकेगा है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है :

परन्तु जहां कोई व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, आयुक्त नियुक्त किया जाता है वहां ऐसी अपील उस स्थान पर जहां कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय को होगी और उस अपील की सुनवाई और निपटारा, उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा ।

22. आयुक्त द्वारा धन का संवितरण—इस अधिनियम के अधीन दावा स्वीकार करने के पश्चात् ऐसे दावे की बाबत शोध्य रकम आयुक्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त करेगा जिसे या जिन्हें ऐसी रकमें शोध्य हैं और ऐसा संदाय कर दिए जाने पर ऐसे दावे की बाबत कम्पनी के दायित्वा का उन्मोचन हो जाएगा ।

23. कम्पनी को रकमों का संवितरण—(1) यदि कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में आयुक्त को संदत्त धन में से अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाता है तो वह ऐसे अतिशेष का संवितरण कम्पनी को करेगा ।

(2) जहां किसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य सम्पत्ति का कब्जा इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कम्पनी में निहित हो गया है, किन्तु ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य सम्पत्ति ऐसी कम्पनी की नहीं है, वहां केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य सम्पत्ति को उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर कब्जे में रखे रहे जिन पर वे नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी के कब्जे में थीं ।

24. असंवितरित या अदावाकृत रकम का साधारण राजस्व खाते में निक्षिप्त किया जाना—आयुक्त को संदत्त कोई धन, जो उस तारीख से ठीक पूववर्ती तारीख को, जिसको आयुक्त के पद का अन्तिम रूप से परिसमापन किया जाता है, असंवितरित या अदावाकृत रह जाता है, आयुक्त द्वारा अपने पद का अंतिम रूप से परिसमापन होने से पूर्व केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते को अन्तरित किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार अन्तरित किसी धन के लिए कोई दावा ऐसे संदाय के हकदार व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को किया जा सकेगा और उस संबंध में कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा अन्तरण किया ही नहीं गया था और दावे के संदाय के लिए किया गया आदेश, यदि कोई हो, राजस्व के प्रतिदाय के लिए किया गया आदेश माना जाएगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

25. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

26. संविदाओं का तब तक प्रभावी न होना जब तक कि केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा उनका अनुसमर्थन नहीं किया जाता—कम्पनी द्वारा अपने उपक्रमों में से किसी ऐसे उपक्रम के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए की गई और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संविदा, उस तारीख से जिसकी इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर और उससे प्रभावी नहीं रहेगी, जब तक कि ऐसी संविदा का उस अवधि की समाप्ति के पूर्व केन्द्रीय सरकार या वह सरकारी कम्पनी जिसमें ऐसा उपक्रम इस अधिनियम के अधीन निहित किया गया है, लिखित रूप में अनुसमर्थन नहीं कर देती और केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में उसमें ऐसे परिवर्तन या उपान्तर कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप और उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तरण तब तक नहीं करेगी जब तक—

(क) उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी संविदा असम्यक् रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के लिए अहितकर है ; और

(ख) वह ऐसी संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और संविदा का अनुसमर्थन करने से इंकार करने या संविदा में कोई परिवर्तन या उपान्तर करने के अपने कारण अभिलिखित नहीं कर देती ।

27. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति,—

(क) कम्पनी के उपक्रमों की भागरूप किसी ऐसी संपत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी से सदोष विधारित करेगा ; या

(ख) कम्पनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उस सम्पत्ति को प्रतिधारित करेगा ; या

(ग) ऐसे उपक्रमों से संबंधित किसी ऐसे दस्तावेज को जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी अथवा उस सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय से जानबूझकर विधारित करेगा या उसे देने में असफल रहेगा ; या

(घ) कम्पनी के उपक्रमों से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखाबहियों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी या उस सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को परिदत्त करने असफल में रहेगा ; या

(ङ) कम्पनी के उपक्रमों की भागरूप किसी सम्पत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह मिथ्या या बिलकुल गलता है,

वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

28. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरादायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकरी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) "फर्म" के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

29. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, केन्द्रीय सरकार या उस सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या अभिरक्षक या सरकारी कम्पनी या उस सरकार, अभिरक्षक अथवा सरकारी कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या उस सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या अभिरक्षक या सरकारी कम्पनी या उस सरकार, अभिरक्षक या सरकारी कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

30. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाले सभी शक्तियों या उनमें से किसी का प्रयोग, इस धारा और धारा 31 और धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) जब कभी उपधारा (1) के अधीन शक्ति का कोई प्रत्यायोजन किया जाता है तब वह व्यक्ति जिसको ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, केन्द्रीय सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

31. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय, जिसके भीतर और वह रीति जिससे धारा 4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई सूचना दी जाएगी ;

(ख) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे तथा वे शर्तें जिनके अधीन अभिरक्षक धारा 12 द्वारा अपेक्षित रूप में लेखा रखेगा या रखेंगे ;

(ग) वह रीति जिससे धारा 14 में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि में जमा धन का उपयोग किया जाएगा ;

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस

नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

32. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, ऐसी कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश ऐसी तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसकी इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

अनुसूची

[धाराएं 18, 20 (1), 21 (1) और 23 (1) देखिए]

कम्पनी के दायित्वों के उन्मोचन के लिए, पूर्विकताओं का क्रम प्रबन्ध-ग्रहण के पश्चात् की अवधि

प्रवर्ग I

कम्पनी के कर्मचारियों की मजदूरी, वेतन और अन्य शोध्य रकमें ।

प्रवर्ग II

केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए उधार ।

प्रवर्ग III

किन्हीं व्यापार या विनिर्माण संक्रियाओं को चलाने के प्रयोजन के लिए कम्पनी द्वारा लिया गया कोई ऋण ।

प्रवर्ग IV

केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को शोध्य राजस्व, कर, उपकर, रेट या अन्य शोध्य रकमें ।

प्रबन्ध-ग्रहण के पूर्व की अवधि

प्रवर्ग V

कम्पनी के कर्मचारियों को शोध्य भविष्य निधि, वेतनों, मजदूरी और अन्य रकमों में कम्पनी द्वारा किए जाने वाले अभिदायों के संबंध में बकाया ।

प्रवर्ग VI

केन्द्रीय सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य विद्युत बोर्ड को शोध्य राजस्व, कर, उपकर, रेट या अन्य शोध्य रकमें जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा को अभिदाय भी सम्मिलित हैं ।

प्रवर्ग VII

(i) किन्हीं व्यापार या विनिर्माण संक्रियाओं को चलाने के प्रयोजन के लिए कम्पनी द्वारा लिया गया कोई ऋण ।

(ii) कोई अन्य शोध्य रकमें ।

———